पुष्कर

219/2020/225 खेमचन्द बनाम दरियावसिंह व अन्य

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
	GA-2 श्री मदनपुरी गोस्वामी, एड० व श्री N.S. राजावत - I	
03.09.2021	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति दिनांक 31.3.2021 हेतु पेश हुई । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति पेश कर कथन किया कि अपील में संयोजित रेस्पो0 संख्या 3 श्रीमती बन्नी पत्नी जिया जो कि वर्तमान अपीलांट की माता है, एवं रेस्पो0 संख्या 12 श्रीमती तीजी बाई (तेजी बाई) का स्वर्गवास उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही हो चुका है । ऐसी स्थिति में अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित होकर निरस्त किये जाने योग्य है । प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया कि प्रकरण में निहित विवादित भूमियो के संबंध में नियमित राजस्व वाद संख्या 317/2017 खेमचंद बनाम गम्भीरा व अन्य समान पक्षकारान के मध्य सहखातेदार होने से विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति हेतु उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष विचाराधीन है । इस प्रकार सहखातेदारान के मध्य विवादित भूमियों का विधिक विभाजन होने की स्थिति में सुखाधिकार का अधिकार विद्यमान करता है । अतः विभाजन के मूल वाद के विचाराधीन रहते धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलांट निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कथन किय कि स्वंय अपीलांट द्वारा राजस्व वाद संख्या 317/2017 के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जो कि अंतिम रूप से निस्तारित होकर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा विद्यमान करती है । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित होकर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति स्वीकार कर अपील मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किये जाने तथा विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजियात अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 12 के नाम खातेदारी से दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है किन्तु अपीलांट एवं अन्य सहहिस्सेदारान द्वारा आपसी समझौते के अनुसार खसरा संख्या 176, 177 अपीलांट के हिस्से में आया है । खसरा नंबर 176 व 177 में अपीलांट ने जिला कलक्टर, अजमेर से अनुमति प्राप्त कर ट्यूबवेल को गहरा करवाया है । अपीलांट के हिस्से मे आई आराजी खसरा नंबर 176 व 177 के आवागमन का रास्ता खसरा नंबर 179 नया तथा 186 पुराना के खसरा नंबर 73 व 74 में से है जिसका इस्तेमाल अपीलांट द्वारा बिना किसी बाधा के लगातार किया जा रहा था किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उक्त आवागमन में बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण अधी0न्याया0 के प्रार्थना पत्र धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया गया था जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुतोष चाहा जबकि प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते	निरन्तर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पुष्कर

219/2020/225 खेमचन्द बनाम परिहार सिंह व अन्य

श्री प्रहलादपुरी गोस्वामी श्री मदन रावत-1 GA.2

निरन्तर---

है। नियमित वाद एवं प्रार्थना पत्र पृथक-पृथक प्रकरण है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति एवं अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । विवादित आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है। विवादित भूमियो के संबंध में नियमित राजस्व वाद संख्या 317/2017 खेमचंद बनाम गम्भीरा व अन्य समान पक्षकारान के मध्य सहखातेदार होने से विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति हेतु उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष विचाराधीन है । उक्त विभाजन के वाद में निर्णय पारित होने से पूर्व प्रार्थी/अपीलांट द्वारा विशिष्ट हिस्से बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर रास्ते का अनुतोष चाहा गया है, जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् बंटवारा का वाद विचाराधीन है । जब तक उक्त राजस्व वाद में पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजियात का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी पक्षकार बिना विभाजन के आराजियात में विशेष हिस्से के लिए रास्ते का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अपीलांट ने विवादित आराजियात के संबंध में पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के न्यायालय में विचाराधीन नियमित राजस्व वाद विचाराधीन होने का तथ्य छिपाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 पेश किया है। अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

आदेश आज दिनांक 03.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

3/9/2021

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील अधिकारी,

अजमेर